

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील रसद प्रकरण संख्या 77/2015 (GCMS : 2015/00071)

मैसर्स गोदारा इण्डेन ग्रा. वितरक, बींझबायला

बनाम

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिवाकर सोलंकी का बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।




पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी मैसर्स गोदारा इण्डेन ग्रा. वितरक, बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये भीम सिंह पुत्र मनीराम गोदारा जाति जाट (गोदारा) आयु 37 वर्ष ने यह अपील जरिये अधिवक्ता पेश कर, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.05.2015 जिससे एजेन्सी को राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स (कंट्रोल एण्ड लाईसेंसिंग) आदेश 1990 के क्लॉज 10 व इस आदेश के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 9 एवं एलपीजी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3(4) के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण एजेन्सी को जारी प्राधिकार पत्र की जमा राशि में से 500/- रुपये जब्त सरकार करने के आदेश दिये गये थे, के विरुद्ध यह अपील पेश की थी।

प्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी का यह अपील अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज करने योग्य प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय उनके कार्यालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर